राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–/म0स्वा0कार्य0/(सीधी भर्ती–2013)/2017/ दिनांकः–

आदेश

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती–2013 में श्रीमती सुमन धीवा पुत्री श्री नेमीचंद पत्नी श्री मुकेश कुमार ने ऑनलाईन आवेदन पत्र (एप्लीकेशन आई.डी. संख्या 6030006254) अन्य पिछडा वर्ग में प्रस्तुत किया था। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों एवं काउंसलिंग के दौरान मूल दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत याचिकाकर्ता/अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के समुचित नहीं होने के कारण उसका चयन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नहीं किया गया। इससे व्यथित होकर श्रीमती धीवा ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 543/2016 दायर की, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2016 की पालना नहीं किये जाने पर उसके द्वारा अवमानना याचिका संख्या 900/2016 दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2016 का मुख्यांश निम्न प्रकार हैः–

.....As a consequence of the above discussion, the writ petition deserves to be and is hereby allowed. The respondents are directed to count the experience gained by the petitioner under the NRHM projects at Baran and Nagaur as well as the sanctioned leave period in view of the above observations made hereinabove and to issue her a proper experience certificate. As a result thereof, she will be accorded appropriate bonus marks for three years. Thereafter, her case shall be considered for appointment as a Health Worker (Female) in the questioned recruitment process as per law by passing appropriate orders within three months from today. Stay application stands disposed of.

याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा जारी दिनांक 04.12.2009 से 04.06.2010 तक का अनुभव प्रमाण पत्र एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा जारी दिनांक 01.06.2010 से 28.02.2013 तक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त दोनों अनुभव प्रमाण पत्रों में दिनांक 01.06.2010 से 04.06.2010 तक (कुल 04 दिवस) की अवधि अधिव्यापन (overlap) हो रही है अर्थात दिनांक 01.06.2010 से 04.06.2010 तक कुल 04 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र दोनों प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया है। इसके संबंध में संबंधित अधिकारियों से माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण में वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। इस क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां ने अपने पत्र क्रमांक 2037 दिनांक 17.11.2017 के द्वारा अवगत कराया है कि याचिकाकर्ता उनके अधीन दिनांक 04.12.2009 से 31.05.2010 तक ही संविदा पर कार्यरत रही है। इस प्रकार अधिव्यापन (overlap) अवधि दिनांक 01.06.2010 से 04.06.2010 को कम किये जाने पर स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की कुल अनुभव अवधि 02 वर्ष 11 माह 26 दिवस होती है।

निदेशालय द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 26.02.2013 के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार 365 दिवस पूर्ण करने पर ही 01 वर्ष के अनुभव का लाभ देय होगा। इससे कम अवधि पर कोई बोनस अंक देय नहीं है। अतः याचिकाकर्ता को विज्ञप्ति के अनुसार 02 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर नियमानुसार 10 बोनस अंक देय है।

विज्ञप्ति में उल्लेखित निर्धारित मापदण्डों के अनुसार याचिकाकर्ता के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता में प्राप्तांको का औसत प्रतिशत 49.725 होता है जिसमें 10 बोनस अंक जोडने पर कुल औसत प्रतिशत 59.725 (49.725 + 10 = 59.725 प्रतिशत) होता है।

याचिकाकर्ता ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु ओबीसी महिला वर्ग में आवेदन किया है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2013 में ओबीसी महिला वर्ग का अंतिम चयन प्रतिशत 62.999 रहा है, जो याचिकाकर्ता के औसत प्राप्तांक प्रतिशत से अधिक है। इस कारण याचिकाकर्ता के प्राप्तांको का औसत प्रतिशत 59.725 ओबीसी महिला वर्ग में चयन की श्रेणी में नहीं है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–/म0स्वा0कार्य0/(सीधी भर्ती–2013)/2017/1697 दिनांकः– 25/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वा0/प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
5. अतिरिक्त महाधिवक्ता, मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि अतिरिक्त महाधिवक्ता से शीघ्र सम्पर्क कर उपरोक्त तथ्यानुसार माननीय न्यायालय में उनके निर्णय दिनांक 15.06.2016 की पालना में जवाबादावा पेश करावें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को उनके पत्रांक 2037 दिनांक 17.01.2017 के संदर्भ में।
9. संबंधित केस प्रभारी अधिकारी एवं समन्वयक।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. श्रीमती सुमन धीवा पुत्री श्री नेमीचंद पत्नी श्री मुकेश कुमार निवासी लम्बा गोथरा, तहसील चिड़ावा, जिला झुझुंनू।
12. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

Desktop\ANM\ANM order 2017